

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/12/2021

क्र एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार में रु. 900 करोड़ के प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से क्षमता विस्तार/विविधिकरण संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाती हैं-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्षों की अवधि में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। सहायता की अधिकतम सीमा रुपये 150 करोड़ तक होगी।
2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - विस्तार परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रु. 1/- प्रतियूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
3. **विद्युत शुल्क से छूट** - विस्तार परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
4. **नवीन विद्युत ट्रांसमिशन लाईन** - उत्पादन की विशिष्ट प्रक्रिया के दृष्टिगत कम्पनी के व्यय पर कनेक्शन हेतु स्थापित फीडर के अतिरिक्त अन्य फीडर से विद्युत लाईन डालने की अनुमति दी जाये।
5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग